


पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के अन्तर्गत ISBT Building Refurbishment and Parking Development (Phase-I) (NTPC मद CSR के अन्तर्गत) की योजना का आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे :-

1. श्रीमती मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 2. श्री दिलीप जावलकर, सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 3. डॉ० वी० षण्मुगम, सचिव (प्रभारी), नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 4. श्री प्रमोद कुमार, प्रभारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 5. श्री अयाज अहमद, मुख्य अभियन्ता, पौड़ी गढवाल।
 6. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
 7. श्री विनोद कुमार, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
 8. श्री धर्मेश गंगानी, आई०एन०आई० डिजाइन स्टूडियो, अहमदाबाद।
1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :- श्री बद्रीनाथ धाम क्षेत्रान्तर्गत विगत वर्षों से धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या में अत्यधिक एवं अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, श्री बद्रीनाथ नगर में वर्तमान में बस अड्डा निर्मित है परन्तु उक्त बस अड्डे के भवन के शौचालय, Dormatary की स्थिति अत्यन्त खराब है। भवन में अनेक स्थानों पर टूट फूट भी हो चुकी है। परिसर में तीर्थ यात्रियों की अत्याधिक संख्या के अनुसार शौचालय, Dormatary, यातायात की व्यवस्था, बसों के संचालन व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भवन एवं परिसर के Retrofitting, Renovation आदि के कार्य कराये जाने प्रस्तावित है। उक्त कार्य कराये जाने से तीर्थ यात्रियों के साथ-साथ स्थानीय जनमानस एवं विभागीय कार्मिकों को पर्याप्त सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी। निर्माण एन०टी०पी०सी० से सी०एस०आर० में प्राप्त धनराशि के अन्तर्गत प्रस्तावित है।
2. **भूमि की उपलब्धता** :- विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना हेतु भूमि उपलब्ध है।
3. **योजना प्राविधान** :- परियोजना में निम्न प्राविधान किये गये हैं :-
- 3.1 भवन को दो मंजिल में बनाये जाने का प्राविधान किया गया है।
 - 3.2 भूतल में भवन की रेट्रोफिटिंग, भूतल विकास तथा प्रसाधन कक्ष प्रस्तावित है। भूतल में मैजनाइन तल में कैफेटेरिया, किचन, प्रसाधन कक्ष,सिटिंग एरिया तथा कियोस्क, प्रथम तल में प्रसाधन कक्ष, लॉकर, तथा महिला एवं पुरुष डोरमेट्री का प्राविधान किया गया है। भवन का कुर्सी क्षेत्रफल 2847.00 वर्ग मीटर है।
 - 3.3 भवन में अग्नि सुरक्षा का प्राविधान किया गया है।
4. **व्यय वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु राज्य योजना आयोग का अभिमत**:-
- 4.1 कार्य के सम्बन्ध में विभागीय समिति की बैठक सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29.09.2021 को सम्पन्न हुई, जिसमें योजना को व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी है।
 - 4.2 योजना कार्यो की Architectural डिजाइन एवं ड्राइंग तथा डी०पी०आर० सम्बन्धी कार्य INI Design Studio Pvt. Ltd., Ahmedabad एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन Genstru Consultant Pvt. Ltd, Pune द्वारा किया गया है।



- 4.3 भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/लोक निर्माण विभाग की डी0एस0आर0/एस0ओ0आर0 की दरें एवं विशिष्टियां ली गयी है।
- 4.4 विद्युत उपकरणों के सम्बन्ध में Cost Effectiveness and Energy efficient प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा।
- 4.5 भवन में Electrification, Plumbing and Fire Fighting के रख-रखाव हेतु उक्त की लागत का 5 प्रतिशत धनराशि 5 वर्षों हेतु ली गयी है जबकि कार्य पूर्ण होने पर रख-रखाव हेतु संस्था निर्धारित न होने के दृष्टिगत रख-रखाव हेतु प्रस्तावित धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी आवश्यक है।
- 4.6 प्रस्तावित योजना के कार्य का Geo Investigation का कार्य Technical consultancy Service, Dehradun द्वारा कराया गया है जिसके अनुसार फुटिंग हेतु 2.00 मीटर एवं 2.50 मीटर गहराई में क्रमश- 12 एवं 15 टन प्रति वर्ग मीटर है।
- 4.7 Renovation के कार्य करते समय भवन की स्ट्रक्चरल सुरक्षा एवं Sustainability का सावधानीपूर्वक संज्ञान लिया जाय।
- 4.8 निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच NABL Accredited Lab से मानकानुसार करायी जाय।
- 4.9 जिन भवनों में जीर्णोद्धार का कार्य प्रस्तावित है, कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उनकी Structural Safety एवं लाइफ हेतु आवश्यक परीक्षण करा लिया जाय। यदि भवन की स्ट्रक्चरल Strength निर्धारित मानकों के अन्तर्गत पायी जाय तभी उन पर जीर्णोद्धार कार्य किया जाय।
- 4.10 कार्य कराये जाने से पूर्व जीर्णोद्धार/विस्तारीकरण किये जाने वाले भवनों के फोटोग्राफ एवं विडियोग्राफी अवश्य करायी जाय।
- 4.11 ध्वस्तीकरण से प्राप्त होने वाले सामग्री जो प्रयोग में लायी जा सके उसका मापन कर सक्षम स्तर से सत्यापन करा लिया जाय।
- 4.12 अप्रयुक्त होने वाली सामग्री की नीलामी करते हुए प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा किया जाय।
- 4.13 परियोजना की कुल रू0 578.47 लाख धनराशि में सेरू0 184.76 लाख के कार्यों हेतु विभागीय दर न होने के कारण अधिप्राप्ति की जानी है। अतः इस हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2015 (संशोधित 2017 एवं 2018) के अनुसार कार्यवाही की जानी आवश्यक है।
- 4.14 प्रस्तावित योजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Particular	DSR	SOR	NSI	NSI (Dept.)
	Total Cost	141.31	170.90	165.34	
	Cost Index @33%	46.63			
	Add 3 % contingency & 1% QC	7.52	6.84	6.61	
	Add 12 % GST on SOR Items		20.51		
	Add Cost of O&M (5%) for 5 year (on electrical, plumbing, HVAC etc)			12.81	
	Total	195.46	198.25	184.76	
	Grand Total		578.47		

परियोजना की कुल लागत :- रू0 578.47 लाख

Grant

क्रमशः पृष्ठ-3/-

5. व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :-

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुसार क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये।

उपरोक्त के आलोक में **रु0 578.47 लाख (प्रस्तर-4.14 के अनुसार) को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :-**

- 5.1 कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- 5.2 योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों (यथा एन0जी0टी0, Building Byelaws आदि) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5.3 निर्माण कार्य में स्ट्रक्चरल एवं Reinforce Steel हेतु शत-प्रतिशत प्राइमरी स्टील का ही प्रयोग किया जाय।
- 5.4 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का आई0एस0 कोड के मानकों के अनुसार समय-समय पर NABL Accredited प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य कराया जाय।
- 5.5 निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाय।
- 5.6 निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ड्राइंग एवं डिजाइन सक्षम अधिकारी से अवश्य अनुमोदित करायी जाय तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय आवश्यक मदों का ही समावेश किया जाय। प्रस्तावित भवन की ड्राइंग पर परिवहन विभाग के प्रतिहस्ताक्षर भी अवश्य कराये जाय।
- 5.7 आगणन में डी0एस0आर0 2018/एस0ओ0आर0 2021 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित है। विशिष्टियों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें हैं।
- 5.8 विभागीय दरों के अतिरिक्त जो कार्य नॉन शिड्यूल मदों के अन्तर्गत कराये जाने हैं उनकी अधिप्राप्ति एवं क्रियान्वयन हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अक्षरस पालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5.9 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।
- 5.10 योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness एवं Energy efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- 5.11 भवन में विद्युतीकरण, Plumbing and Fire Fighting के रख-रखाव में 05 वर्षों के अनुरक्षण हेतु 5 प्रतिशत धनराशि का प्राविधान किया गया है। अनुरक्षण हेतु Service Level Parameter निर्धारित करते हुए निविदा में उनका समावेश सुनिश्चित किया जाय तथा अनुबन्ध में अनुरक्षण के सम्बन्ध में Graded Penalty के प्राविधान का अवश्य समावेश किया जाय।
- 5.12 भवन में स्वतः स्वच्छता की निरन्तर व्यवस्था हेतु प्राविधान अवश्य किये जाय।
- 5.13 भवन के Façade हेतु स्थानीय वास्तुकला के अनुसार परिक्षेत्र में अन्य भवनों के अनुरूप एकरूपता की दृष्टि से आवश्यक प्राविधान करते हुए कार्य किया जाय।



व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1-5.13 तक निहित शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(मनीषा पंवार)

अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)

संख्या 1315 / 765 / ई0एफ0सी0 / रा0यो0आ0 / पर्यटन / 2021-22

देहरादून: दिनांक: 14, अक्टूबर, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, को इस आशय से कि व्यय वित्त समिति के अनुमोदन को राज्य योजना आयोग की वेबसाइट में अपलोड करें।

आज्ञा से,

(मेजर योगेन्द्र यादव)

अपर सचिव